न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 144 / 2019

1 नानुराम पुत्र प्रभातीलाल उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी ढ़ाणी जीवाकावली वार्ड नम्बर 3 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामूराम पुत्र मांगू।
2 भूराराम पुत्र मांगू।
3 भगवानाराम पुत्र मांगू।
4 भूदा पुत्र मांगू।
5 चौथू पुत्र मांगू।
6 रामेश्वर पुत्र मांगू।
7 गोपाल पुत्र मांगू।
8 बाबुलाल पुत्र मांगू समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
9 बंशी पुत्र बालू जाति कुम्हार निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10 चद्री देवी पत्नी नानूराम।
11 छोटी देवी पत्नी बोदूराम।
12 आंची देवी पत्नी रिछपाल।
13 कमला देवी पत्नी सुवालाल।
14 सुमित्रा देवी पत्नी सुवालाल समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
15 पटवारी हल्का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
17 भूमिधारी तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
18 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।
19 बोदूराम पुत्र प्रभाती।
20 रक्षपाल सिंह पुत्र प्रभाती।
21 मदनलाल पुत्र प्रभाती।
22 सुवालाल पुत्र प्रभाती समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जीवकावाली वार्ड नम्बर 3 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2019 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर मुकदमा नम्बर
228/2014 पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता
आर.ए.एस.

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रहलाद राम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.12.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 228/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 19 ता 22 वादीगण ने अदालत मातहत में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 18 प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इन कथनों के साथ पेश किया कि भूमि पुराने खसरा 882 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा नये खसरा नम्बर 1037,1038,1039,1041 कुल किता 4 कुल रकबा 4.24 हैक्टेयर ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका वर्तमान सैटलमेन्ट से पहले से ही छोटू पुत्र रूड़ा हिस्सा 1/4, महाबक्सा पुत्र पेमा हिस्सा 1/4, तुलसा पुत्र मोती हिस्सा 1/4 व प्रभात पुत्र मोती हिस्सा 1/4 के अनुसार मौका पर कब्जा काश्त चले आ रहे थे जिनकी प्रथम सैटलमेन्ट तक हिस्सानुसार अनवरत कब्जा काश्त होने से गिरदावरी भी अंकित हुई है। तुलसा व प्रभात दोनो सगे भाई होने से पारिवारिक विभाजन में उक्त भूमि तुलसा के नाम दर्ज है तथा तुलसा का सम्पूर्ण हिस्सा प्रभात के हिस्सा में आने से तुलसा का हिस्सा प्रभात के नाम अंकित हो गया एवं छोटू का हिस्सा उसके देहान्त के बाद मान्य, कजोड़ के नाम दर्ज हुआ। कजोड ने वर्ष 2008 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 को विक्रय कर दिया जो काबिज काश्त है महाबक्सा व उसके पुत्र नाथुराम का हिस्सा 1/4 अपनी भूमि अदला बदली से वादीगण के पिता प्रभात के हिस्से में आ गयी तथा प्रभात का देहान्त सन 2011 में हो जाने के बाद उसके वारिसान बहिस्सा का 3/4 हिस्सा पर कब्जा काश्त है तथा शेष हिस्सा 1/4 पर प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा तथा ना ही इन नामो के व्यक्ति ग्राम रींगस में कभी देखे गये तथा न निवासी होने का सुना गया। उक्त व्यक्तियों का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व खसरा गिरदावरी से स्वतः प्रभावित ही वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का नाम हिस्सा 1/4 में दर्ज है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिस हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है तथा इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि का प्रथम सैटलमेन्ट के समय से अकेला वादीगण के पिता व पूर्व खातेदार महाबक्सा, छोटू, तुलसा आदि ने अपने स्वंय के खर्चे से उन्नत व उपजाउ बनाया एवं स्वंय ने कूप बनाकर उसमें विधुत संबंध लेकर मौके पर सिंचित कर रखा है, सम्पूर्ण भूमि मौके पर एकजाही होकर चारो तरफ तारबंदी कर वादीगण ने अपनी भूमि को सीमाकित कर रखी है तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम के व्यक्तियों का कभी भी किसी भी तरह का कोई संबंध नही रहा। वादीगण अपने पिता के जीवनकाल अर्थात उसके करीब 70 वर्ष से मौके पर अकेले काबिज काश्त होने से एडवर्स पजेसन के आधार पर ही काबिज काश्तकार हो चुके है इसलिए इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है। हाल ही में रींगस से जयपुर के लिए ब्रॉडगेज की बड़ी लाईन हेतु भूमि अवाप्त किये जाने की विज्ञप्ति जारी होने पर कुछ लोगो ने इस भूमि को खातेदारी में दर्ज प्रविादी संख्या 1 ता 9 के नाम के व्यक्तियों का अपने आपको वारिस बताकर अवार्ड राशि क्लेम करने, प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 15 से 17 की साजसी कार्यवाही से विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के स्थान पर 1/4 हिस्से में अपना नाम अंकित करवाने की धमकी दी। जिसका कोई अधिकार नही है इसलिए इनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज भूमि के हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित करवाने व हिस्सा 3/4 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने व प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की सहायता प्रदान की इस्तदुआ की। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बावजूद तामिल अखबार उपस्थित नही हुए तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 बावजूद तामिल उपस्थित नही हुए तथा प्रतिवादी संख्या 18 के विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की तथा अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद के समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की तथा अपने वाद को साबित किया किन्तु अदालत मातहत ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2019 के द्वारा वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि यह कि अपीलान्ट (वादी नम्बर–1) व रेस्पोडेन्ट नम्बर–19 ता 22 (वादी नम्बर–2 ता 5) ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद मुकदमा नम्बर–222/2014 बउनवानी नानूराम आदि बनाम रमूराम आदि अन्तर्गत धारा–88,188 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा नां ही उक्त प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम के व्यक्ति ग्राम रींगस के निवासी होने बाबत सुना गया अर्थात् प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से दर्ज हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि उक्त भूमि का सम्वत 2011 से 2033 तक का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व उसकी खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्वतः प्रमाणित है तथा प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम से दर्ज हिस्सा 1/4 की भूमि के वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार है तथा इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि के प्रथम सेटलमेन्ट के समय से अकेले वादीगण के पिता व पूर्व खातेदार महाबक्स, छोटू व तुलसा वगैरह के अपने स्वयं के खर्च से उन्नत व उपजाउ बनाया व स्वयं के द्वारा बनाये गये कुए में पूर्व खातेदार महाबक्स ने विद्युत सम्बन्ध लेकर मौके पर सिंचित कर रखा है तथा मौके पर एकजाई होकर चारो ओर तारबंदी करके अपनी भूमि को सीमांकित कर रखा है अर्थात् प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम के व्यक्तियो का विवादित भूमि से कभी भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है तथा वादीगण अपने पिता के जीवनकाल अर्सा करीब 70 वर्ष से मौके पर अकेले काबिज काश्त होने से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा घोषणा करवाने के अधिकारी है। वर्तमान में रींगस से जयपुर के लिए ब्रोडगेज की बड़ी लाईन हेतु भूमि अवाप्ति किये जाने की विज्ञप्ति जारी होने पर कुछ लोगो ने अपने आपको प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 का वारिस बताकर अपना हक क्लेम करने, अवार्ड राशि क्लेम करने व खातेदारी में अपना नाम प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के स्थान पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी नम्बर–15 से 17 से साजसी कार्यवाही करने की धमकी दी जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ एवं वादीगण ने उक्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का खातेदार काबिज काश्तकार की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु वाद प्रस्तुत किया। वादीगण ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वाद को साबित कर दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2019 द्वारा खारिज कर दिया जो निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा विधि विरूद्ध व विरूद्ध पत्रावली है इसलिए विचाराधीन अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2004 मार्च पेज 107 एवं आर.आर.डी. 1981 पेज 206 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 19 से 22 ने तर्क दिया कि वाद वादी स्वीकार किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट (वादी नम्बर–1) व रेस्पोडेन्ट नम्बर–19 ता 22(वादी नम्बर–2 ता 5) ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद मुकदमा नम्बर–222/2014 बउनवानी नानूराम आदि बनाम रामूराम आदि अन्तर्गत धारा–88,188 आर.टी. एक्ट इन कथनो के साथ पेश किया कि भूमि पुराने खसरा नम्बर–882 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर–1033, 1038, 1039, 1041 कुल किता–4 कुल रकबा 4.2410 हैक्टर ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि के प्रथम सेटलमेन्ट से पहले से छोटु पुत्र रूड़ा हिस्सा 1/4, महाबक्स पुत्र पेमा हिस्सा 1/4 तुलसा पुत्र मोती हिस्सा 1/4 व प्रभात पुत्र मोती हिस्सा 1/4 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चले आ रहे थे जो कब्जा काश्त वर्तमान सेटलमेन्ट तक अनवरत रूप से चला रहा है। उक्त कब्जा काश्त गिरदावरियो में भी अंकित है। तुलसा व प्रभात दोनो सगे भाई होने से पारिवारिक विभाजन में तुलसा के नाम दर्ज भूमि प्रभात के हिस्सा में आ गई तथा छोटू का हिस्सा छोटू के देहान्त के बाद उसके वारिस कजोड़ के नाम दर्ज हुआ जिसने सन् 2008 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी नम्बर–10 ता 14 को बेचान कर दिया जो उक्त हिस्सा पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काबिज काश्त है। महाबक्स व उसके पुत्र कालूराम के अपने हिस्सा 1/4 की अदला बदली प्रभात से कर ली। प्रभात की मृत्यु सन् 2011 में हो जाने पर वादीगण उक्त भूमि के 3/4 हिस्से पर व प्रतिवादी नम्बर–10 ता 14 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा ना ही उक्त प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम के व्यक्ति ग्राम रींगस के निवासी होने बाबत सुना गया अर्थात् प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से दर्ज हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि उक्त भूमि का सम्वत 2011 से 2033 तक का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व उसकी खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्वतः प्रमाणित है तथा प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम से दर्ज हिस्सा 1/4 की भूमि के वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार है तथा इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि के प्रथम सेटलमेन्ट के समय से अकेले वादीगण के पिता व पूर्व खातेदार महाबक्स, छोटू व तुलसा वगैरह के अपने स्वयं के खर्च से उन्नत व उपजाउ बनाया व स्वयं के द्वारा बनाये गये कुए में पूर्व खातेदार महाबक्स ने विद्युत सम्बन्ध लेकर मौके पर सिंचित कर रखा है तथा मौके पर एकजाई होकर चारो ओर तारबंदी करके अपनी भूमि को सीमांकित कर रखा है अर्थात् प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम के व्यक्तियो का विवादित भूमि से कभी भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है तथा वादीगण अपने पिता के जीवनकाल अर्सा करीब 70 वर्ष से मौके पर अकेले काबिज काश्त होने से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा घोषणा करवाने के अधिकारी है। वर्तमान में रींगस से जयपुर के लिए ब्रोडगेज की बड़ी लाईन हेतु भूमि अवाप्ति किये जाने की विज्ञप्ति जारी होने पर कुछ लोगो ने अपने आपको प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 का वारिस बताकर अपना हक क्लेम करने, अवार्ड राशि क्लेम करने व खातेदारी में अपना नाम प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर–15 से 17 से साजसी कार्यवाही करने की धमकी दी जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ एवं वादीगण ने उक्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का खातेदार काबिज काश्तकार की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु वाद प्रस्तुत किया।

विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में दर्ज प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 की तामील जरिये अखबार करवाई गई जिस पर उपस्थित नहीं आने पर एक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिनांक 23.01.2017,11.04.2017,16.04.2018, 24.08.2018 को दिया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान पी. डब्ल्यु–1, नानूराम, पी. डब्ल्यु 2 हणमान, पी. डब्ल्यु 3 छीतरमल के बयान दर्ज करवाये तथा वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये जो प्रदर्श–1 से 12 है। वादीगण ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वाद को साबित कर दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2019 द्वारा खारिज कर दिया जो निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा विधि विरूद्ध व विरूद्ध पत्रावली है इसलिए विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई है।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ता 9 व अन्यो की तलबी जारी की गई जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ता 9 के सम्मन अदम तामील इस नोट के साथ वापस आये कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रींगस में नहीं है।

इसके बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ता 9 की तामील हेतु अपीलान्ट ने तामील अखवार के जरिये करवाने का आवेदन दिनांक 14–02–2020 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 19–02–2020 को तामील अखबार में साया करवाने हेतु सम्मन दिनांक 16–03–2020 को उपस्थित होने हेतु जारी किया जिसकी पालना में तामील के सम्मन को अखवार दैनिक भास्कर दिनांक 21.02.2020 में साया करवाया गया किन्तु इसके बाद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ता 9 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 19 से 22 की बहस सुनी गई।

विचारण न्यायालय में वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य गवाह पी. डब्ल्यु 1 से पी. डब्ल्यु 3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श– 12 से वाद को प्रमाणित कर दिया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का विवेचन एवं परीक्षण किये बिना वाद वादी विचाराधीन निर्णय से खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

विचारण न्यायालय ने वादीगण के वाद को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा किया जाना धारा–42 के उल्लघंन की श्रेणी में आना मानकर भारी विधिक भूल की है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जबकि वादीगण का वाद उक्त अधिनियम की धारा–42 की श्रेणी में नहीं आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 निम्न प्रकार है:– **Sec. [1]42 General restrictions of Sale. gift and bequest- The Sale, gift or bequest by a Khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if-**

2 (a) Deleted w.e.f. 11-11-92,

(b) Such Sale, gift or bequest is by a memeber of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member or the Scheduled caste, or by a member of Scheduled Tribe in favour or a person who is not a member of the Scheduled Tribe,

3 (bb) Such Sale, gift or bequest, not withstanding any thing contained in clause (b), is by a member or Saharia Schedule Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia Tribe}

(c) Omitted[4]

उक्त धारा–42 में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि के बैचान, दान अथवा वसीयत को अवैध ठहराया गया है जबकि वादीगण का वाद अनुसूचित जति अथवा जन जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि के बेचान, दान अथवा वसीयत से सम्बन्धित नहीं है। वादीगण का वाद काश्तकारी अधिनियम 1955 से पहले से तथा लागू होने के समय व लागू होने के बाद से ही कब्जा–काश्त होने, लगान अदा किये जाने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के आधार पर खातेदारी चाही गई है। चूंकि खेत खसरा नम्बर–882 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण तत्कालीन खातेदार काबिज काश्तकार तुलसा पुत्र मोती, छोटू पुत्र रूड़ा व महाबक्स पुत्र पेमा के कब्जे–काश्त में था तथा सम्वत 2011 से 2033 तक की गिरदावरियो में उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर–882 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा पर काश्त उक्त व्यक्तियो की दर्ज है जो गिरदावरियां प्रदर्श– 8 से 10 है तथा उक्त तुलछा, छोटू व महाबक्सा के प्रभात नाम से जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 बनी है जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदर्श–1 है। जमाबंदी में दर्ज अनुसूचित जाति के व्यक्ति मांग्या पुत्र लादू हिस्सा 1/8 व स्वर्ण जाति के व्यक्ति बंशी पुत्र बालू कुम्हार हिस्सा 1/8 का नाम गलत व लापरवाही से दर्ज हुआ है। उक्त मांग्या पुत्र लादू व बंशी पुत्र बालू का कब्जा–काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से न तो पहले था, न लागू होने के समय था तथा न ही लागू होने के बाद था इसीलिए उक्त नाम के व्यक्तियो के नाम से एक भी गिरदावरी नहीं बनी। उक्त नाम के व्यक्तियो का भूमि खसरा नम्बर–882 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा के किसी भी भाग पर एक क्षण के लिए भी नहीं रहा। इसलिए वादीगण ने वाद राजस्व रिकार्ड में अनुसूचित व्यक्ति के नाम का गलत इन्द्राज हो जाने के कारण उसे दुरस्त कर वादीगण को खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार भी जाति विशेष के व्यक्ति के विरूद्ध वाद लाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 की श्रेणी में नहीं आता है तथा वादीगण ने वाद विधिक रूप से प्रस्तुत किया है तथा वादीगण को विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नम्बर–9 के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 के स्थान पर खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद धारा–42 की श्रेणी में आने का निष्कर्ष विधि पूर्ण नहीं माना जा सकता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पुराना खसरा नम्बर–882 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा के वर्तमान भू–प्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर बने जो खसरा मिलान प्रदर्श–2 है जो निम्न प्रकार है:–

हाल		साबिक	
खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
1037	0.01 हैक्टर	882 मी	16 बीघा 12 बिस्वा
1038	0.01 हैक्टर	882 मी	
1039	4.13 हैक्टर	882 मी	
1041	0.07 हैक्टर	882 मी	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उक्त नये खसरा नमबर–1039 रकबा 4.15 हैक्टर में से ब्रोडगेज रेल्वे लाईन हेतु भूमि अवाप्त किये जाने पर वादीगण के कब्जे–काश्त में संशोधित खसरा नम्बर–1039/1 रकबा 4.0765 हैक्टर है।

उक्त पुराना खसरा नम्बर–882 के स्थान पर वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान नया नक्शा नये खसरा नम्बर–1037, 1038, 1039, 1041 बनाया गया जो प्रदर्श– 5 व 6 है। प्रतिवादी नम्बर–1 ता 9 का कोई कब्जा–काश्त न होने के कारण ही उक्त नक्शा प्रदर्श– 5 व 6 में अलग से कोई सीमांकन नहीं है अर्थात् एक ही चक के रूप में अवस्थित है जो सम्पूर्ण भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर–10 ता 14 के कब्जे–काश्त में है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–11 व 12 में भी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर–10 ता 14 का कब्जा–काश्त सम्पूर्ण भूमि पर साबित है। उक्त कब्जा–काश्त अनुसूचित व्यक्ति के विक्रय, अंतरण आदि से नहीं है तथा न ही वादीगण ने अवैध रूप से कब्जा प्राप्त किया है बल्कि विधिक रूप से काबिज है।

विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में वाद को पूर्णतया साबित किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पी. डब्ल्यु 1 से पी. डब्ल्यु 3 व दस्तवेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–12 से वाद साबित है तथा वादीगण की साक्ष्य अकाट्य है तथा उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। वादीगण द्वारा वाद के तथ्यो को साबित करने के बावजूद वाद के तथ्यो को सिद्ध करने में असफल रहना मनमाने आधार पर मानकर वादीगण का वाद गलत रूप से खारिज किया है इसलिए वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुति के बाद रेल्वे की ब्रोडगेज लाईन हेतु वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–1039 रकबा 4.15 हैक्टर में से रेल्वे लाईन हेतु भूमि अवाप्त कर लेने के कारण खसरा नम्बर–1039 रकबा 4.15 के स्थान पर खसरा नम्बर–1039/1 रकबा 4.0765 हैक्टर शेष बची है। उक्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर–1 ता 8 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नमबर–9 का हिस्सा 1/8 का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को खसरा नम्बर–1037 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर–1038 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर–1039/1 रकबा 4.0765 हैक्टर, खसरा नमबर–1041

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रकबा 0.07 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2019 को अपास्त किया जाता है एवं वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर–1037 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर–1038 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर–1039/1 रकबा 4.0765 हैक्टर, खसरा नमबर–1041 रकबा 0.07 हैक्टर में प्रतिवादी नम्बर– 1 ता 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नम्बर–9 के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 को हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर